

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/93952/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/22878/JD

दिनांक: 31-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO. C-1 AND C-2,,TS-06 SECTOR-22D, YAMUNA EXPRESS WAY,GREATER NOIDA** तहसील - **JEWAR** प्लाट एरिया **16004.32 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **47837.031** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर BUILDING	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या 13	बेसमेन्ट की संख्या 1	ऊँचाई 49.10 mt.
------------------------	---	-------------------------	--------------------

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्रिम निवारण एवं अग्रिम सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधिक एनोबी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनोबी०सी० की अधिभोग श्रेणी **Assembly** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्रिमशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्रिम सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्रिमशमन अधिकारी /मुख्य अग्रिमशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भोतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्रिमशमन व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखें। total covered area is -47837 SQM

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

06-09-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-09-2023
स्थान : LUCKNOW

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र।
पत्रांक: 2023/93952/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/22878/जोड़ी०
दिनांक: सितम्बर 17 2023.
सेवा में।

स्वामी/प्रबन्धक,
M/S-STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP.
Commercial Plot No-C1 & C2, TS-06, SECTOR-22D,
Yamuna Expressway, YEIDA CITY,
DISTRICT-GAUTAMBUDHINAGAR, U.P.

विषय:- **M/S-STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP. Commercial Plot No-C1 & C2, TS-06, SECTOR-22D, Yamuna Expressway, YEIDA CITY, DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, U.P. में प्रस्तावित एसेम्बली भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में नाम सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2023/93952/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/22878/जे०डी० दिनांक: 31-08-2023
महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 16-09-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि यूआईडी:2023 / 93952 / जीवीएन / गौतमबुद्धनगर / 22878 / जे0डी0 दिनांक: 06-09-2023 के माध्यम से एसेम्बली भवन को ऑनलाइन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में भवन का नाम M/S-STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP. Plot No-C1 & C2, TS-06, SECTOR-22D, Yamuna Expressway, GREATER NOIDA, त्रिवेश गलत अंकित हो जाने के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम मे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि यूआईडी:2023/93952/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/22878/जे0डी0 दिनांक:-06-09-2023 के द्वारा ऑन लाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप मे भवन का नाम M/S-STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP. Plot No-C1 & C2, TS-06, SECTOR-22D, Yamuna Expressway, GREATER NOIDA, अंकित है। जबकि ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोडेड मानचित्रों के अनुसार भवन का नाम M/S-STARCITY BUILDERS AND PROMOTERS LLP. Commercial Plot No-C1 & C2, TS-06, SECTOR-22D, Yamuna Expressway, YEIDA CITY, DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, U.P. है।

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये, तथा शेष शर्ते दिनांक: 06-09-2023 को ऑनलाईन निर्गत (प्रोवीजनल) एन0ओ0सी0 के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

अनुमन्य होगा।